

राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक:—निसंशि/सा0प्र01/2015, 1696-3836 जयपुर, दिनांक:—25/6/2015

आदेश

विभाग द्वारा दिनांक 13-06-2015 एवं इसके पश्चात् समस्त श्रेणियों के जो भी स्थानान्तरण आदेश जारी किए जा रहे हैं, उन स्थानान्तरण आदेशों में यदि कोई भी कार्मिक (नव-नियुक्त) जिसे दिनांक 30-06-2015 को तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हों, को किसी भी अवस्था में स्थानान्तरित स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि ऐसे प्रकरणों में कार्यमुक्त किया जाता है तो सम्बन्धित कार्यमुक्त करने वाला अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी होंगे एवं सम्बन्धित के खिलाफ आदेशों की अवहेलना करने के क्रम में अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(प्रो० लक्ष्मी नारायण आसोपा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा, राज०, जयपुर.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
1. समस्त प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, रा० आचार्य / शास्त्री / वरि० उपा० / प्रवे० / उ० प्रा० प्राथमिक, महाविद्यालय / विद्यालय, राजस्थान, जयपुर.
2. समस्त संभागीय शिक्षाधिकारी, राजस्थान,

(प्रो० लक्ष्मी नारायण आसोपा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा, राज०, जयपुर.